मण्डी परिषद के संचालक मण्डल की 130वीं बैठक दिनांक 20.01.2009 का कार्यवृत्त

बैठक का स्थानः किसान मण्डी भवन,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
बैठक का समयः मध्यान्ह 12.00 बजे।

उपस्थिति

1.	श्री इन्द्रजीत सरोज, मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।	अध्यक्ष	श्री इन्द्रजीत सरोज, मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
2.	श्री विजय बहादुर कुशवाहा मा0 उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष	श्री विजय बहादुर कुशवाहा मा0 उपाध्यक्ष
3.	श्री विद्रोही धनपति राम मौर्य, मा0 उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष	श्री विद्रोही धनपति राम मौर्य, मा0 उपाध्यक्ष
4.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ	सदस्य	श्री अनीस अंसारी, कृषि उत्पादन आयुक्त
5.	सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य	श्री आर0एस0 वर्मा, सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार
6.	डा0 बसन्त राम, कुलपति, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद।	सदस्य	डा0 बसन्त राम, कुलपति, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
7.	कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।	प्रतिनिधि	श्री राजित राम वर्मा कृषि निदेशक कृषि निदेशालय
8.	निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0प्र0, लखनऊ।	प्रतिनिधि	श्री आर0एल0 उपाध्याय अपर निबन्धक, सहकारी समितियाँ
9.	निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यान भवन, लखनऊ	प्रतिनिधि	श्री आर0पी0 सिंह अपर निदेशक (प्रशासन) उद्यान विभाग
10.	कृषि विपणन सलाहकार भारत सरकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, नई दिल्ली।	प्रतिनिधि	श्री शफीक अहमद्, सहायक, कृषि विपणन सलाहकार
11	निदेशक कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य	श्री राजेश कुमार सिंह, निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार,
12	श्री राजेश कुमार सिंह, सदस्य एवं सचिव	सदस्य/ सचिव	श्री राजेश कुमार सिंह सदस्य एवं सचिव

मद संख्या	प्रस्ताव	कार्यवाही/निर्णय
1	मा0 परिषद की 129वीं बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।	कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

2	मा0 परिषद की 129वीं बैठक की अनुपालन आख्या।	मा0 परिषद की 129वीं बैठक की अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।
3	मण्डी समिति की आय से सम्बन्धित प्रगति का प्रस्ताव।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा मण्डी समिति की आय की प्रगति अवलोकित की गयी तथा रिकार्ड बढ़ोत्तरी हेतु प्रशंसा व्यक्त की गयी।
4	डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना (2007–2008) प्रथम चरण के अर्न्तगत स्वीकृत किये गये सम्पर्क मार्गो की अद्यतन स्थित के सम्बन्ध में।	निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2007–08 में डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत 330 ग्राम सभाओं में से 328 (625.98 कि0मी0) ग्राम सभाओं का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है तथा 02 का निर्माण कार्य फरवरी, 2009 तक पूर्ण करा लिया जायेगा। धीमी प्रगति हेतु उप निदेशक (निर्माण), मण्डी परिषद, गोरखपुर को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2008–09 में स्वीकृत 290.5 ग्राम सभाओं में से 250 ग्राम सभाओं (394.00 कि0मी0) का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। शेष बचे 40.5 ग्राम सभाओं के सम्पर्क मार्गो का निर्माण कार्य माह फरवरी, 2009 तक पूर्ण करा लिया जायेगा। यह भी अवगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग, आर0ई0एस0 एवं मण्डी परिषद द्वारा कार्य कराया जा रहा है जिसकी समीक्षा शासन स्तर पर मुख्य सचिव द्वारा माह में तथा कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा माह में कम से कम दो बार की जाती है जिसमें मण्डी परिषद के निर्माण कार्य एवं कार्य की प्रगति अन्य विभागों से बेहतर एवं सन्तोषजनक है। प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
5	डा0 अम्बेडकर ग्रामों में एक छोटा नीलामी चबूतरे (ए0पी0एफ0) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि मण्डी क्षेत्र के प्रत्येक डा0 अम्बेडकर गांव में एक छोटा नीलामी चबूतरा (ए0पी0एफ0) बनाये जाने की मण्डी परिषद/ मण्डी समिति की न तो कोई योजना है, न ही जमीन है और न ही शासन स्तर से कोई दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं।

		अतः यह प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
6	मथुरा जनपद के वृन्दावन में प्रस्तावित उप मण्डी के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि पत्र व्यवहार किया गया है तथा उपयुक्त जमीन चयन करने के लिए दो बार चयन किया गया परन्तु जमीन भी उपलब्ध नहीं हो पायी है। मण्डी समिति को फूलों पर जो मण्डी शुल्क (वर्ष 2004–05 रू0 554.00, 2005–06 रू0 1472.00 तथा 2007–08 रू0 1668.00) के रूप में प्राप्त हुआ है वह बहुत ही कम है तथा उप मण्डी स्थल हेतु निर्धारित मानक के विपरीत है। उक्त के आलोक में प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
7	जनपद बलिया में मण्डी स्थल चितबड़ागॉव हेतु अधिग्रहीत भूमि में से 4.35 एकड़ भूमि नगर पंचायत चितबड़ागॉव (बलिया) के नाम स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि बलिया में मण्डी स्थल चितबड़ागॉव हेतु अधिग्रहीत भूमि में से 4.35 एकड़ भूमि नगर पंचायत चितबड़ागॉव (बलिया) के नाम स्थानान्तरित किये जाने का प्रकरण अर्न्तविभागीय हितों एवं पारस्परिक समन्वय की अर्न्तसमीक्षा आधारित है अतएव इस पर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की अध्यक्षता में बैठक सम्बन्धित विभागों के सचिवों/ प्रमुख सचिवों के साथ बैठकर कराते हुए संस्तुति सहित संचालक मण्डल को निर्णयार्थ प्रस्तुत कराने की कार्यवाही की जाय।
8	भूमि अर्जन के प्रकरणों में करार नियमावली के अर्न्तगत कृषकों/भूस्वामियों को उचित मूल्य प्रदान किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्गत शासनादेश को अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा भूमि अर्जन के प्रकरणों में करार नियमावली के अर्न्तगत कृषकों/ भूस्वामियों को उचित मूल्य प्रदान किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्गत शासनादेश को अंगीकार किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि भूमि अर्जन अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत करार नियमावली के अन्तर्गत कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी एवं मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों द्वारा कोई भी भूमि कृषकों/ भूस्वामियों से सीधे क्रय नहीं की जायेगी।
9	कृषि विपणन एवं फसलोत्तर प्रबन्ध संस्थान	मा0 संचालक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि भविष्य में

	की स्थापना एवं संचालन के सम्बन्ध में विभिन्न संस्थानों से समन्वय स्थापित करने हेतु डा0 एन0के0 डडलानी को अंशकालिक कन्सलटेन्ट नियुक्त किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।	कन्सलटेन्ट का चयन निविदा के माध्यम से किया जाय। प्रश्नगत प्रकरण में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
10	प्रदेश के पूर्वान्चल के जनपदों की मण्डी समितियों के क्षेत्रान्तर्गत निर्मित कराये जाने वाले मार्गो में प्रयुक्त होने वाले विटुमिन की आपूर्ति हल्दिया रिफाइनरी (पश्चिम बंगाल) से लिये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु विटुमिन की आपूर्ति के लिए हल्दिया रिफाइनरी (पश्चिम बंगाल) का विकल्प भी खुला रखा जाय एवं किसी निर्माण खण्ड विशेष हेतु मथुरा रिफाइनरी या हल्दिया रिफाइनरी (पश्चिम बंगाल) इनमें से जिससे भी विटुमिन की आपूर्ति अपेक्षाकृत कम कीमत पर उपलब्ध हो सके उसी से विटुमिन की आपूर्ति सुनिश्चित करा लिया जाय।
11	निर्माण खण्डों के सृजन के सम्बन्ध में।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा लोक निर्माण विभाग के मानक के अनुसार 05 निर्माण खण्ड तथा 01 विद्युत/यांत्रिक खण्ड (कुल 06 अतिरिक्त निर्माण/ वि0यां0 खण्डों) के सृजन करने का निर्णय लिया गया।
12	वर्षा ऋतु में जलभराव की समस्या से ग्रस्त नवीन मण्डी स्थलों में वर्टिकल ड्रेनेज की व्यवस्था किये जाने हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। निर्देश दिये गये कि यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि वर्टिकल ड्रेनेज की व्यवस्था किये जाने से भूगर्भ जल दूषित न होने पाये इस हेतु वर्टिकल ड्रेनेज व्यवस्था में यथावश्यक उपाय सुनिश्चित किया जाय।
13	ठेकेदारों की संख्या में वृद्वि किये जाने हेतु राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ0प्र0 के ठेकेदारों के श्रेणीवार पंजीकरण/ नवीनीकरण हेतु नियमावली 1997 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
14	उ0प्र0 राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद का आई0सी0सी0एम0आर0टी0 का सदस्य	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	बनने एवं सदस्यता शुल्क का भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में।	
15	प्रदेश में उत्पादित आलू को प्रदेश के बाहर विपणन हेतु कृषकों, निर्यातको एवं व्यापारियों को अनुदान अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा निर्णय लिये जाने हेतु मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद को अधिकृत किया गया।
16	चीनी वर्ष 2008–2009 में खाण्डसारी समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार करने के सम्बन्ध में।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि चीनी वर्ष 2008–2009 में खाण्डसारी समाधान योजना लागू किए जाने के सम्बन्ध में चीनी वर्ष 2007–08 की निर्धारित समाधानित धनराशि में 15 प्रतिशत बढ़ोत्तरी कर प्रस्ताव अनुमोदित किया गया, तद्नुसार शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाय।
17	पुष्प नीलामी केन्द्र–सह–थोक मण्डी नोयडा की स्टेटस रिर्पोट एवं राजकीय फेडरेशन (संघ) को दुकाने आवंटित करने हेतु मार्ग दर्शक सिद्वान्त के सम्बन्ध में।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि नवीन मण्डी स्थल, नोएडा में पुष्प व्यवसाय किये जाने हेतु शासन से धारा–7(2) (ख) की अधिसूचना करायी जाय तथा अन्य प्रदेशों को थोक पुष्प व्यवसाय हेतु प्रीमियम के आधार पर ही दुकानें आवन्टित किया जाय। प्रदेश को इस प्रकार से प्रदान की जाने वाली सुविधा हेतु प्रीमियम की धनराशि देने में असमर्थता जाहिर की जाती है तो शिथिलता हेतु प्रस्ताव संचालक मण्डल की बैठक में पुनः लाया जाय।
18	वित्तीय वर्ष 2008–2009 के आय व्ययक में विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशि के समक्ष संशोधित/पुनरीक्षित प्राविधान के औचित्य पूर्ण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
19	वित्तीय दृष्टि से कमजोर मण्डी समितियों को उपलब्ध कराये ऋण व ब्याज को अनुदान के रूप मे स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।	वित्तीय दृष्टिकोण से वैसी मण्डी समितियां जिन्हें पूर्व में परिषद द्वारा ऋण उपलब्ध कराया गया था जिसके सापेक्ष सम्प्रति उन मण्डी समितियों पर अवशेष मूलधन एवं ब्याज की धनराशि को जोड़ते हुए ओवर डयू विद्यमान है उन

		सभी मण्डी समितियों को ओवर डयू की धनराशि को उस सीमा तक एकमुश्त अनुदान में परिवर्तित करते हुए ओवर डयू की धनराशि को शून्य किरते हुए खत्म किये जाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर मण्डी समितियों को उनके विकासात्मक कार्य हेतु परिषद द्वारा परिषद निधि के अन्तर्गत ऋण के बजाय अनुदान दिया जाय।
20	नवीन मण्डी स्थलों में निर्मित अतिथि गृहों मे जाब कान्ट्रैक्ट बेसिस पर रसोईया सह चौकीदार एवं माली रखे जाने के सम्बन्ध में।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा नवीन मण्डी स्थलों में निर्मित 38 अतिथि गृहों के रख–रखाव हेतु श्रम विभाग की लागू दरों के आधार पर खानसामा–01, चौकीदार–02, माली–01 तथा स्वच्छकार–01 हेतु जाब कान्ट्रैक्ट बेसिस पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि इन पदों के सृजन हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जाय और पदो के सृजन के पश्चात नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर उपरोक्त पदों पर नियुक्ति करके उनसे कार्य लिया जाता रहे।
21	आई0वी0आर0एस0 सिस्टम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से कम्प्यूटर कार्य कराये जाने की योजना के सम्बन्ध में।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
22	प्रदेश के मण्डी स्थलों में इलेक्ट्रानिक रेट डिस्प्ले बोर्ड लगाने के सम्बन्ध में।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा कार्य तकनीकी बिड एवं वित्तीय विड के आधार पर निविदा के माध्यम से कराये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
23	मण्डी परिषद/ मण्डी समितियों में प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने हेतु शर्तो के निर्धारण के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
24	मुख्य अभियन्ता पद पर की गयी प्रोन्नति के सम्बन्ध में कार्योत्तर अनुमोदन के	मा0 संचालक मण्डल द्वारा मुख्य अभियन्ता के पद पर की गयी प्रोन्नति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

	सम्बन्ध में।	
25	मण्डी परिषद में सृजित सिस्टम मैनेजर के पद हेतु शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
26	डा0 आर0पी0 मौर्य, को मण्डी परिषद में विपणन विशेषज्ञ के रूप में संविदा पर रखे जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
27	वर्ष 2003 की बैकलाग भर्ती प्रकिया में प्रतीक्षा सूची में रखे गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।	प्रस्ताव को अगले बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
28	मण्डी परिषद एवं समितियों में रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने संबंधी कार्यवाही की अद्यतन स्थिति के संबंध में।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
29	प्रदेश के विभिन्न मण्डी स्थलों में कृषि विविधीकरण परियोजना से अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों की संसूचना के संबंध में।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
30	कृषक उपहार योजना में संशोधन के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

(राजेश कुमार सिंह)
निदेशक
सदस्य/सचिव

अनुमोदित

(इन्द्रजीत सरोज)
अध्यक्ष, मण्डी परिषद,
उत्तर प्रदेश